न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 43/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/371)

धर्मपाल पुत्र छाजुराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम भुनगडा अहीर, तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर निर्णय दिनांक 29.06.2022 जो अपील संख्या 12/26/2022 उनवानी धर्मपाल बनाम तहसीलदार मुण्डावर पर पारित किया गया ।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –27.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 29.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 25.04.2022 द्वारा सम्वत 2078 में अपीलान्ट द्वारा ग्राम भुनगडा अहीर के आराजी खसरा नं. 399 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में 50X5 वर्गफुट भूमि पर पत्थर डालकर अतिक्रमण किये जाने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी कायम किये जाने के दण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहॉ पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2022 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.04.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 29.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 25.04.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा दिनांक 29.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को देखे बिना उक्त निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का रिपोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया। जिसका जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया। जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय के निर्णय में नहीं किया गया है, जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया किया गया कि सिविल न्यायालय में मुकदमा उनवान धर्मपाल बनाम तहसीलदार विचाराधीन है और उक्त वाद में मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी तलब की गयी है। जिस जवाब नोटिस के साथ मिन अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज संलग्न किये गये। उन समस्त दस्तावेजात का ना तो तहत् न्यायालय ने अवलोकन किया और ना ही विचारण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

न्यायालय ने गौर किया। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमा साक्ष्य पेश करने हेतु दिनांक 25.04.2022 को पेशी नियत की गई थी। लेकिन विद्वान तहत् न्यायालय ने कोई अवसर नहीं दिया, मिन अपीलान्ट के साक्ष्य नहीं लिये और दिनांक 25.04.2022 को आदेश पारित कर मनमाने तरीके पर बेदखल करने का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित कर दिये। जबकि मुकदमा बहस के लिये नियत नही था। इस तथ्य को विद्वान तहत् न्यायालय में भी नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

मिन अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का भुनगड़ा दिनांक 27.10.2010 की मौका पर्चा रिपोर्ट तहत् न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मौके पर सघन आबादी होने के कारण जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया जाना सम्भव नही है। इसलिए आराजी खसरा नं0 379 के दक्षिण में यह बताया जाना सम्भव नही है कि ईधन व पत्थर रास्ते के उत्तर की आबादी में है या आराजी खसरा नं0 379 में है। मौका पर्चा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया गया। ठीक इसी प्रकार एक रिपोर्ट 12.10.2020 को प्रस्तुत की गई। जिसमें भी उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए कमलेश पत्नि फूलचन्द के मकानों का रास्ता पश्चिम दिशा में अवरूद्ध नही है व दक्षिण दिशा की ओर आम रास्ता एवं प्रार्थीया के मकानों के बीच कई वर्षो पूर्व से पत्थर डले हुए है। मिन अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत भुनगड़ा द्वारा भी दिनांक 08.01.2022 को प्रमाणित किया गया कि अपीलान्ट का गुवाडा आबादी क्षेत्र में है और जिसका उपयोग लगभग 50 सालों से अपीलान्ट करता चला आ रहा है। इससे यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित है कि मिन अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया हुआ नही है लेकिन तहत् न्यायालय ने गौर नही किया। तहत् न्यायालय के समक्ष भी कमलेश पत्नि फूलचन्द ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व 151 प्रस्तुत किया। जो प्रार्थना पत्र विद्वान तहत् न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2022 को खारिज कर दिया गया। इससे भी स्पष्ट है कि कमलेश पत्नि फूलचन्द का विवादित जायदाद से कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नही है और बेजा लाभ प्राप्त करना चाहती है। विवादित भूमि आबादी भूमि है। जिसका विचारण न्यायालय के सुनने का क्षेत्राधिकार नही है लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपना निर्णय पारित किया है।

आराजी खसरा नं0 399 रकबा 0.56 है0 ग्राम भुनगड़ा अहीर के गत खसरा नं0 321 रकबा 0.56 है0 है। जो भुनगड़ा अहीर की आबादी क्षेत्र की सीमा प्रारम्भ होने से पूर्व ही रास्ता समाप्त हो जाता है। यानी खसरा नं0 399 गैर मुमकिन रास्ता सिर्फ गांव की आबादी क्षेत्र तक ही है। आबादी क्षेत्र में अलग से रास्ता कायम किया हुआ है जो मौके पर काबिज है और मिन अपीलान्ट का गुवाडा आबादी क्षेत्र में है। इस प्रकार आबादी क्षेत्र के रास्ते में मिन अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण किया हुआ नही है और गाँव की आबादी भूमि तहसीलदार, मुण्डावर के क्षेत्राधिकार में नही आती है। यह क्षेत्र ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का मामला है लेकिन तहत् न्यायालय ने गौर नही किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली बहस में नहीं थी बल्कि साक्ष्य में नियत थी। लेकिन विचारण न्यायालय ने मिन अपीलान्ट को वगैर सुने, वगैर साक्ष्य का अवसर दिये निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 29.06.2022 व विद्वान तहसीलदार मुण्डावर का निर्णय दिनांक 25.04.2022 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2078 में ग्राम भुनगडा अहीर में स्थित भूमि के आराजी खसरा नं. 399 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में 50X5 वर्गफुट भूमि पर पत्थर डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 25.04.2022 के द्वारा बेदखल एवं पैनल्टी कायम किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। वर्तमान में अतिक्रमण यथावत है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर के निर्णय दिनांक 29.06.2022 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार विदित है कि अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायाधीश मुण्डावर द्वारा दिनांक 25.03.2022 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। सिविल न्यायाधीश मुण्डावर द्वारा प्रकरण में मौका कमिश्नर की रिपोर्ट तलब की गई है, मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में भी अपीलान्ट के द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण स्पष्ट साबित है। अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के तथ्यों को छुपा कर अपील पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा वर्णित आराजी के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि वर्णित आराजी उसके स्वामित्व में हो। राजकीय गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर को पाबन्द किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नगत राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ते के खसरा नम्बर 399 पर कोई भी पक्ष अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही जो सार्वजनिक भूमि (गुवाडा) अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित की गई है, के सम्बन्ध में भी तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि की जांच करें। यदि भूमि राजस्व भूमि है तो भूमि का सार्वजनिक स्वरूप बनाये रखा जाये। इसमें किसी भी पक्षकार को अतिक्रमण नहीं करने दिया जावे। यदि आवश्यक समझा जावे तो उक्त सार्वजनिक भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आंवटन किये जाने बाबत कार्यवाही की जावे, ताकि भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावना नहीं रहे। यदि भूमि आबादी में हो तो संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। इस हेतु तहसीलदार को पृथक से तहरीर जारी हो। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर